



2026:AHC:163233

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26244 वर्ष 2026

पवन

राजभर

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार सिंह
वत्स, राजीव कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेख में ले लिया गया है।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शत्रुहन यादव की बात सुनी।
3. यह जमानत आवेदन मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है। यह मुकदमा अपराध संख्या 874 सन् 2025, धारा 103(1), 3(5), 61(2) बी.एन.एस. और धारा 29 शस्त्र अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन पिपराइच, जिला गोरखपुर में दर्ज है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में नहीं था, लेकिन अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सह-अभियुक्त के बयान के माध्यम से उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
5. उन्होंने आगे कहा कि चश्मदीद साक्षी शाहिद के बयान से यह पता चलता है कि एफ.आई.आर. में नामित सह-अभियुक्त छोटू उर्फ दयानंद मुख्य आरोपी है जिसने गोली लगने से मृतक की हत्या की।
6. उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक ने मुख्य अभियुक्त को देसी पिस्तौल मुहैया कराई थी, लेकिन सह-अभियुक्त के निराधार और मौखिक आरोप और बयान तथा पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान के अलावा इस संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई ठोस सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का 11 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन इस जमानत आवेदन में उनके आपराधिक इतिहास का विवरण दिया गया है और अधिकांश मामले मामूली प्रकृति के थे। उन्होंने आगे बताया कि सभी मामलों में आवेदक जमानत पर है।

8. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक का ग्यारह अन्य मामलों में पहले से ही आपराधिक इतिहास था, इसलिए अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने उसे वर्तमान मामले में फंसा दिया क्योंकि पुलिस उससे अत्यधिक शत्रुता रखती है।

9. उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में आवेदक 31.12.2025 से जेल में है।

10. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का ग्यारह अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए अन्य तर्क का खंडन नहीं कर सके।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

12. आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में नहीं था और यह इस बात को दर्शाता है कि आवेदक का नाम अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सह-अभियुक्त के बयान के माध्यम से सामने आया।

13. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक ने मृतक को चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त व्यक्ति को पिस्तौल मुहैया कराई थी, लेकिन सह-अभियुक्त के बयान और पुलिस के समक्ष आवेदक के संस्वीकृति बयान के अलावा इस संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई अन्य ठोस सबूत अभिलेख पर मौजूद नहीं है।

14. इसके अलावा, चश्मदीद साक्षियों के बयान से भी यह पता चलता है कि सह-अभियुक्त छोटू उर्फ दयानंद मुख्य अभियुक्त है जिसने मृतक को गोली मारकर उसकी हत्या की।

15. इसके अलावा, वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का ग्यारह अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया जा चुका है और सभी मामलों में वह जमानत पर है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि दो मामलों को छोड़कर, सभी मामले मामूली प्रकृति के थे।

16. इसके अलावा, आवेदक के आपराधिक इतिहास और अन्वेषण के दौरान जिस तरह से उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को इस चरण पर खारिज नहीं किया जा सकता कि स्थानीय पुलिस आवेदक की बहुत बड़ी दुश्मन है और इसी वजह से अन्वेषण के दौरान उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

17. इसके अलावा, कानून में भी यह बात तय है कि अगर जमानत का मामला अन्यथा बनता है तो आम तौर पर केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर किसी अभियुक्त की जमानत आवेदन को रोका नहीं जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. शीर्षस्थ न्यायालय ने अयूब खान बनाम राजस्थान राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3763 मामले में अनुच्छेद-10 में निम्नलिखित टिप्पणी भी की:-

“10. अभियुक्त के पूर्ववृत्त की उपस्थिति, उसके द्वारा की गई जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए विचारणीय कई कारकों में से एक है। किसी विशेष मामले में, यदि अभियुक्त प्रथम दृष्टया मजबूत मामला सिद्ध करता है, तो तथ्यों और कारावास की अवधि के आधार पर, पूर्ववृत्त की उपस्थिति जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसा भी मामला हो सकता है जहां न्यायालय केवल लंबी कारावास की अवधि के आधार पर जमानत दे सकता है। ऐसे मामले में पूर्ववृत्त की उपस्थिति प्रासंगिक नहीं हो सकती है। किसी विशेष मामले में, न्यायालय डिफॉल्ट जमानत दे सकता है। ऐसे मामले में भी, अभियुक्त के पूर्ववृत्त अप्रासंगिक होते हैं। इस प्रकार, विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, न्यायालय पूर्ववृत्त के अस्तित्व के बावजूद जमानत दे सकता है...”

19. इसके अलावा, वर्तमान मामले में भी आवेदक 31.12.2025 से यानी पिछले छह महीने से अधिक समय से जेल में है।

20. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

21. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

22. आवेदक - पवन राजभर को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

23. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के विचारण के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5 अगस्त, 2026

एके पांडे

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।